घनघोरिया ने संभाला युकां अध्यक्ष का पदभार, ईसी का किया घेराव

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 नवंबर: मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के नव-निर्वाचित अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया ने बुधवार को आयोजित गरिमामयी समारोह में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.

लखन घनघोरिया ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव कार्यालय का घेराव किया.

इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान चिब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, एआईसीसी सचिव सत्यनारायण पटेल, कुणाल चौधरी, विधायक लखन घनघोरिया, सचिन यादव, आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पी.सी. शर्मा, सुखदेव पांसे, भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव (प्रभारी असम) मितेंद्र दर्शन सिंह यादव, पूर्व विधायक संजय शर्मा तथा नवनियुक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी समेत अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.

कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव (प्रभारी मप्र) शिव सिंह चौहान, सह-प्रभारी रूपेश सिंह भदौरिया, पुनीत पारिया, हेवरनसिंह कंसाना, भरतशंकर जोशी और शंभवी शुक्ला भी मौजूद रहे.

समारोह को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान चिब ने भारतीय जनता पार्टी पर 'वोट चोरी' करने और मतदाताओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रियाओं में हेरफेर कर रही है. उन्होंने दावा किया कि यदि वोट नहीं चुराए जाते, तो देश और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें होतीं. मध्यप्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लगभग 25 लाख महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है.

> समारोह के तुरंत बाद युवा कांग्रेस द्वारा एसआईआर के विरोध में भारत निर्वाचन आयोग के भोपाल कार्यालय का घेराव किया गया. वहां तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चिब, प्रभारी शिव सिंह चौहान, सह-प्रभारी रूपेश सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया, महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव हेवरनसिंह कंसाना सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. प्रदेश के विभिन्न जिलों, विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉकों से हजारों युवा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए. अंत में नव-निर्वाचित महामंत्री चेतन पाटीदार ने आभार व्यक्त किया, जबकि संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह 'दादू' ने किया.

पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक बूथ पर 10 सदस्यों की टीम के साथ बूथ अध्यक्ष नियुक्त किया जाए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पूरी कांग्रेस संगठन युवा कांग्रेस के साथ खड़ा है. उन्होंने मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया और एसआईआर प्रक्रिया के तहत कथित रूप से काटे जा रहे वोटों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा.

पदभार ग्रहण के बाद यश लखन घनघोरिया ने अपना पहला संबोधन शेर-ओ-शायरी से शुरू किया और कहा कि युवा कांग्रेस हर उस सरकारी नीति का कड़ा विरोध करेगी जो अन्यायपूर्ण या जनविरोधी होगी.

कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुए थे एसआईआर

कांग्रेस जवाब दे एसआईआर कराने वाले नेहरू व इंदिरा गांधी गलत थे क्या

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 नवंबर.भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने गुरूवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोजित जिला कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था.

कांग्रेस आजादी के आंदोलन के समय एक अंग्रेज द्वारा बनाया गया एक मंच था, जिसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल होकर देश को आजाद कराने का कार्य कर रहे थे. देश के आजाद होने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए इसका उपयोग किया. नेहरू परिवार आज भी इसका उपयोग सत्ता के लिए कर रहा है, जबकि कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है.

> खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा अपने गठन के समय से लेकर आज तक एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है. भाजपा ने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया. कार्यकर्ता आधारित भाजपा संगठन आज भी अपनी विचाधारा पर अडिग है. एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची के शुद्धिकरण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आवश्यक है.

एसआईआर को लेकर विधायक सिकरवार का आरोप, मेरे नाम में ही गड़बड़ी

ग्वालियर. पूर्व विधानसभा (16) के कांग्रेस विधायक डॉ. सतीश सिंह सिकरवार ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. स्वयं विधायक का नाम भी गलत विधानसभा में दर्ज दिख रहा है. विधायक सिकरवार ने बताया कि जब उन्होंने निर्वाचन मतदाता केंद्र से जानकारी ली, नाम 15 नंबर ग्वालियर विधानसभा में दर्ज दिखाया जा रहा है, जबकि वे 16 ग्वालियर पूर्व के विधायक हैं.

झोपड़ी में लगी आग, वृद्ध की मौत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 नवम्बर। जियावन थाना क्षेत्र के बंधा चहली गांव में आज दिन गुरुवार की रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। घर के बाहर बनी कच्ची झोपड़ी में सो रहे 85 वर्षीय बुजुर्ग तेजा बैगा आग की चपेट में आकर जिंदा जल गए। सुबह जब ग्रामीणों की नींद खुली तो झोपड़ी राख हो चुकी थी और बुजुर्ग की जली हुई लाश अंदर मिली। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक तेजा बैगा रोज की तरह रात में खाना खाकर झोपड़ी में सोने चले गए थे। बताया जा रहा है कि सोने से पहले उन्होंने झोपड़ी के बाहर आग जलाई थी और आग ताप रहे थे, जिसके बाद वे अंदर सो गए। अनुमान है कि आग फैलकर झोपड़ी में लगी और बुजुर्ग निकल नहीं पाए। सूचना मिलने पर जियावन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रोशनी पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना दुर्घटनावश प्रतीत हो रही है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग आग जलाकर उसके सामने ही सो जाते थे। संभवत: आग भड़ककर झोपड़ी तक पहुंची और वह बाहर नहीं निकल पाए। फिर भी आत्महत्या या किसी अन्य कोण पर भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला जांच में लिया है। गांव में लोग इसे बेहद दुखद बताते हुए प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।

यातायात अभियान के दूसरे दिन 225 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 नवम्बर। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 15 दिवसीय विशेष यातायात अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के दूसरे दिन यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 225 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख 2 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया है।

यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसपी मनीष खत्री के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में 26 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिन गुरूवार को व्यापक जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 125 चालकों पर कार्रवाई कर 37 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिना वैध बीमा के वाहन चलाने पर 4 मामलों में 4 हजार रुपये, बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के 75 वाहनों से 37 हजार 500 रुपये तथा तेज गति से वाहन चलाने पर 2 चालकों से 2 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर 19 मामलों में 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस ने बताया कि अभियान का उद्देश्य दंड के साथ-साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। आगे भी यह अभियान लगातार जारी है।

स्वच्छता को लेकर ननि आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

ओडीएफप्लस प्लस रेटिंग लक्ष्य निर्धारित करते हुये चालानी कार्यवाही का दिया निर्देश

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 नवम्बर। आयुक्त सविता प्रधान द्वारा आज दिन गुरूवार को स्वच्छता विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई। जिसमें शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि इस बार शहर को ओडीएफप्लस प्लस में 7 स्टार रेटिंग दिलाना लक्ष्य है, जिसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करना होगा। आयुक्त ने निर्देशित किया कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण कर उनमें मौजूद कमियों को तत्काल दूर किया जाए। साथ ही स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए विभागीय प्रांक्कलन तैयार कर शीघ्र कार्रवाई करें। आयुक्त ने सार्वजनिक स्थानों जैसे रैन बसेरा, शौचालय, सड़क डिवाइडर सहित अन्य की रंगाई-पुताई एवं नियमित रख-रखाव समय सीमा के भीतर पूरा करने पर भी जोर दिया। निगमायुक्त ने सख्त निर्देशित किया कि शहर में पॉलिथीन बैन को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा प्रत्येक दुकान पर दो डस्टबिन अनिवार्य करने की मुहिम चलाने चलायें। आयुक्त ने कहा कि इन निर्देशों के 7 दिन बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहर बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक वार्ड में नोडल अधिकारी नियुक्त कर नियमित निरीक्षण करने का निर्देशित किया। बैठक के दौरान कार्यपालन यंत्री संतोष पाण्डेय, उपायुक्त आरपी बैस, स्वास्थ्य अधिकारी बीजी चतुर्वेदी, सहायक विधि अधिकारी अक्षत उपाध्याय, स्वच्छता निरीक्षक पवन बरोदे, अर्चना, विशाल, आईईसी मैनेजर आशीष शुक्ला, अमित पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नौ माह से फरार लूट के तीनों अभियुक्तों को बैकुण्ठपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिरमौर 27 नवंबर, पुलिस अधीक्षक रीवा शैलेन्द्र चौहान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा तथा एस. डी. ओ. पी. सिरमौर उमेश प्रजापति के मार्गदर्शन में थाना बैकुण्ठपुर की टीम ने नौ माह से फरार चल रहे बस लूट कांड के तीनों अभियुक्तों को आज सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी बैकुण्ठपुर निरीक्षक जे.पी. पटेल ने बताया कि विगत फरवरी 2025 में रीवा-सिरमौर मुख्य मार्ग स्थित सलैया मोड़ के पास तीन अभियुक्तों ने चलती यात्री बस को जबरन रुकवाकर नगदी, एवं अन्य कीमती सामान लूट लिया था। घटना के बाद से ही अभियुक्तगण फरार चल रहे थे और पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी थीं। मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 26.11.2025 को थाना प्रभारी निरीक्षक जे.पी. पटेल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने दबिश देकर योगेश प्रताप सिंह पिता स्व. रामशीला सिंह, ाजेश सिंह पिता रामशीला सिंह, राकेश कुमार सिंह पिता रामशीला सिंह सभी निवासीग्राम मझिगवां, थाना बैकुण्ठपुर, जिला रीवा गिरफ्तारी के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस सराहनीय कार्यवाही मे, उप निरीक्षक आर.एस. बागरी, प्रधान आरक्षक सत्येन्द्र पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अश्वनी शुक्ला एवं आरक्षक राहुल पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम मनाया गया

चाकघाट 27 नवंबर, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रथम वर्षगांठ पर ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन.. जिसमें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी एवं समग्र जन चेतना विकास परिषद रीवा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सोहागी में किया गया कार्यक्रम.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय श्री प्रवीण सर सीओ जनपद त्यौंथर रहे,, विशिष्ट अतिथि में ग्राम पंचायत सोहागी के सरपंच आदरणीय श्री शेष मणि शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि में शिवाकांत पांडे जी ब्लॉक अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसियन,महिला बाल विकास त्यौंथर से सुपरवाइजर ज्योत्सना सिंह जी,,सुषमा शर्मा जी,प्राची सिंह जी, पूजा मिश्रा जी आदि उपस्थित रही।। कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी में सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत दुबे जी सरपंच सचिव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,जन अभियान परिषद से परामर्शदाता नीरज तिवारी, विवेक सिंह, कृष्ण कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ज्योति सिंह जी द्वारा किया गया साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बाल विवाह से हो रहे दुष्परिणाम और इस कुरीति को दूर कैसे किया जाए इस पर ज्योति सिंह जी ने खुलकर लोगों से बात की,, कार्यक्रम के अंत में आदरणीय सीओ साहब द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई तथा अपने वक्तव्य में उन्होंने संस्था की हर तरह से मदद करने की आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में अपनी पूर्ति सहभागिता और कैसे सुनिश्चित करें इस पर शिवाकांत जी ने लोगों से अपील की और शासन की पहल को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सबको बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आवाहन किया कार्यक्रम के समापन में कैंडल मार्च निकल के, कार्यक्रम कर कार्यक्रम का सम्पन्न किया गया।

In The Court of Principal Judge, Family Court, District Court, Satna
Presiding Officer : **श्रीमती नोरिन निगम**
(विज्ञापन)
वाद के निपटारे के लिये सम्मन्स)
(MJCR229/2025)

अंजना सिंह ....**वादी**
Vs
शीवेन्द्र सिंह ....**प्रतिवादी**

Process Id-85/2025 **पेशी दिनांक :-07.01.2026**

शीवेन्द्र सिंह पिता श्री लाल बहादुर सिंह, उम्र-35 वर्ष पेशा नौकरी, निवासी ग्राम खैरा,थाना चोरहटा, जिला रीवा (म0प्र0)

आवेदिका श्रीमती अंजना सिंह पुत्री श्री अमर सिंह पता हनुमान नगर नई बस्ती भल्ला डेरी फार्म के पास सतना म0प्र0, ने आपके विरुद्ध आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 144 बी.एन.एस.एस. बावत दिलाए जाने मासिक भरण पोषण राशि का आवेदन संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में पेशी दिनांक **07.01.2026** को दिन में 11.00 बजे आवेदन का जबाब देने के लिये उपसंजात होने के लिये समंस किया जाता है। न्यायालय में आपकी उपसजात के लिये जो दिन नियत किया गया है, वह इस बात के अंतिम निपटारा के लिये नियत दिनांक है, इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रखना चाहिये, जिस पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात (हाजिर) नहीं होंगे तो आवेदन की सुनवाई या उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जावेगा।

यह आज दिनांक-22.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

न्यायालय की मुद्रा

Principal Judge
Family Court, Satna (M.P.)

कृपया ध्यान दें। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

In The Court of Additional District s Judge Nagod, District Court, Satna
Presiding Officer : **उमेश शर्मा**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC GW/0000003/2025)

चुनबदिया पाल उर्फ चुनबादी पाल ....**वादी**
Vs
दुर्गा पाल ..... .**प्रतिवादी**

Process Id-69/2025 **पेशी दिनांकः-17.12.2025**

प्रेषिती- 1.**दुर्गा पाल तथा मंजू पाल अवयस्क से जिसका भी कोई संबंध हो.**

यह कि प्रार्थी **चुनबदिया पाल उर्फ चुनबादी पाल** ने आपके विरूद्ध एम.जे.सी.जी.डबलू.03/2025 के लिये वाद संस्थित किया है .आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें . आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें . आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा . साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावों .

यह आज तारीख 20 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है .

न्यायालय की मुद्रा

(उमेश कुमार शर्मा)
प्रथम जिला न्यायाधीश नागौद
जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

कार्यालय नगर परिषद सिरमौर, जिला - रीवा (म0प्र0)
Email ID- cmosirmor@mpurban.gov.in

// दावा आपत्ति सूचना //

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत डायवर्सन हेतु लंबित हितग्राहियों का अतिरिक्त डीपीआर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सिरमौर द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच उपरांत पात्र पाये गये 43 हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन किया गया है ।प्रकाशित सूची में जिन हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति है तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर कार्यालय में अधोहस्ताक्षर के समक्ष दावा आपत्ति सक्षम दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नही होगी ।

(संतोष कुमार सिंह)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ,
नगर परिषद सिरमौर, जिला - रीवा (म0प्र0)

नाम और जन्मतिथि परिवर्तन सूचना

मै शिवकुमारी गुप्ता (वर्तमान नाम मां के अनुसार) एवं मै राजाराम गुप्ता (वर्तमान नाम पिता के अनुसार) सेना संख्या 14664038Y के माता-पिता हैं . मेरा पद नाम मनीष कुमार गुप्ता है और वर्तमान में ग्राम माधवगढ़ तह.रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) में रहते हैं. हमने अपना जन्मतिथि पिता राजाराम 01.07.1953 तथा माता का 01.07.1955 (मेरे पुत्र के सैन्य सेवा रिकार्ड के अनुसार जन्मतिथि) से बदलकर राजाराम की जन्मतिथि 01.07.1958 तथा मां की जन्मतिथि 01.01.1961 (मेरे आधार कार्ड और शपथपत्र दिनांक 17.11.2025 के अनुसार जन्मतिथि) कर लिया है .

राजाराम गुप्ता -सही जन्मतिथि- 01.07.1958
गलत जन्मतिथि-01.07.1953
शिवकुमारी गुप्ता -सही जन्मतिथि- 01.01.1961
गलत जन्मतिथि-01.07.1955

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)
क्रमांक/प्रवा./अपर कले./25 सतना दिनांक 14/11/2025

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राहुल प्रजापति तनय श्री रामलाल प्रजापति उम्र-21 वर्ष (29/02/2004) स्थिति-अविवाहित स्थायी निवासी- गली नम्बर-01, मंगल भवन के पास, धवारी थाना-सिटी कोतवाली तहसील-रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) 485001 एवं आवेदिका पूजा प्रजापति पुत्री श्री रामभुवन प्रजापति उम्र-26 वर्ष (09/12/1999) स्थिति-अविवाहित, स्थायी निवासी-ग्राम पैपखरा पोस्ट-खैरा, तहसील-अमरपाटन थाना-अमरपाटन जिला मैहर (म.प्र.) 485115 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 10/10/2025 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 16/12/2025 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद् नागौद, जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक./न.परि./राज./.दु.नी./2025/2683 — नागौद, दिनांक 20.11.2025

द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् नागौद द्वारा अगोल मैदान के पश्चिमी दिशा में नवनिर्मित चौपाटी शापिंग काम्पलेक्स में निर्मित दुकानों का लीज पर आवंटन किये जाने हेतु लम्प-सम्प दर पर आन लाइन निविदा आमंत्रित की जा रही है. निविदा का विस्तृत विवरण बेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है.

क्र.	टेण्डर क्रमांक	नाम/स्थान	दुकान क्रमांक	साईज वर्ग मीटर	निर्धारित प्रीमियम	वार्षिक भू-भाटक/किराया	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	आरक्षण की स्थिति
1.	2025_UAD_464718_1	अगोल मैदान के पश्चिमी दिशा में नवनिर्मित चौपाटी शापिंग काम्पलेक्स में निर्मित दुकानें	1	17	17,20,550/-	उच्चतम बोली/आफर राशि का 2 प्रतिशत	4,35,000/-	2000/-	अनारक्षित
2.	2025_UAD_464718_2		2	17	17,20,550/-	उच्चतम बोली/आफर राशि का 2 प्रतिशत	4,35,000/-	2000/-	अनारक्षित
3	2025_UAD_464718_3		4	17	17,20,550/-	उच्चतम बोली/आफर राशि का 2 प्रतिशत	4,35,000/-	2000/-	अनारक्षित
4.	2025_UAD_464718_4		6	17	17,20,550/-	उच्चतम बोली/आफर राशि का 2 प्रतिशत	4,35,000/-	2000/-	अन्य पिछड़ा वर्ग
5.	2025_UAD_464718_5		7	17	17,20,550/-	उच्चतम बोली/आफर राशि का 2 प्रतिशत	4,35,000/-	2000/-	अनारक्षित
6	2025_UAD_464718_6		10	17	17,20,550/-	उच्चतम बोली/आफर राशि का 2 प्रतिशत	4,35,000/-	2000/-	अनारक्षित
7	2025_UAD_464718_6		15	17	17,20,550/-	उच्चतम बोली/आफर राशि का 2 प्रतिशत	4,35,000/-	2000/-	अनुसूचित जाति

1. **केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के पोर्टल की बेवसाइट** https://mptenders.gov.in/ पर में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
2. निविदा प्रपत्र की खरीदी आनलाइन बेबसाइट, आनलाइन पेमेंट एवं पोर्टल सर्विस चार्ज के द्वारा दिनांक 26.11.2025 समय 11.30 बजे से दिनांक 11.12.2025 समय 5.30 बजे तक खरीदी जा सकती है.
3. आरक्षित वर्ग की दुकानों की प्रस्थापना के साथ संबंधित आरक्षित वर्ग का होने से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा. आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न न होने अथवा संलग्न प्रमाण पत्र संदिग्ध होने पर प्रस्थापना ग्राह्य न होगी.
4.प्रस्थापना में भाग लेने हेतु अमानत राशि प्रीमियम की राशि का 25 प्रतिशत Online payment through Debit card/Credit card/Internet banking or system Generated Challan जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् नागौद के नाम देय होगा, जमा करना होगा.
5. प्रस्थापना स्वीकार करने या न करने का अधिकार नगर परिषद् नागौद को होगा.
6.अन्य विस्तृत जानकारी/शर्तें राजस्व शाखा नगर परिषद् नागौद से कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है.
7.निविदाकार द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु:-
(क) निविदा प्रपत्र का मूल्य आनलाइन पेमेंट द्वारा किया जावेगा.
(ख) निविदा के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(ग) निविदा की समय सारणी सूची (key Dates) में देखी जा सकती है.
8.समस्त आनलाइन निविदा प्रपत्रों में निविदाकार का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य है.
9. नोट- निविदा संबंधित ई-टेण्डरिंग की विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रानिक सिस्टम के गाइडलाइन पर पोर्टल की बेबसाइट पर देखी https://mptenders.gov.in & www.mpurban.gov.in पर देखी जा सकती है.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् नागौद, जिला-सतना (म.प्र.)

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/सिस/2025/Q — दिनांक 27/11/25

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला चिकित्सालय में कैंटिन संचालन की निविदा आमंत्रित किया जाना है। जिसमें इच्छुक व्यक्ति/निविदाकार/फर्म शुल्क जमा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा प्रकाशन दिनांक 28.11.2025 से 08.12.2025 सायं 04 बजे तक जमा किया जावेगा। निविदा दिनांक 09.12.2025 समय दोपहर 12 बजे कार्यालय सिविल सर्जन में खोली जावेगी। निविदा फार्म क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि 10.12.2025 सायं 04 बजे तक रहेगी इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा। कैंटिन का न्यूनतम किराया 14000.00 निर्धारित है।

अमानत राशि के रूप में 10000.00 की एफडी निविदा फार्म जमा करते समय जमा करना होगा। उपरोक्त कार्य वर्ष 2025-26 के लिये होगा। निविदाकार आवश्यक दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, फुड लायसेंस, कमर्सियल गैस कनेक्शन, जीएसटी, गुमास्ता अनिवार्य है। निविदा निरस्त करने का अधिकार सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पास रहेगा।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बैढ़न
जिला सिंगरौली (म.प्र.)